प्राक्कथन

इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में "भारतीय रेल द्वारा संविदा श्रमिकों के नियोजन से संबन्धित सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन" के विषय पर संघ सरकार के रेल मंत्रालय के लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में अप्रैल 2014 से मार्च 2017 की अवधि में लेखापरीक्षा नमूना जांच के दौरान पाये गए मामलों के साथ-साथ पूर्व वर्षों में पाये गए मामलें, जिन्हें पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किया जा सका, को उल्लिखित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है।